प्रेस नोट 22/09/2022

<u>एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के विभिन्न प्रकार के सामान बरामद–</u>

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ठाकुर गांव से मु0अ0सं0 252/22 धारा 457,380 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रियांशू राय पुत्र सर्वेश निवासी ठाकुरगांव थाना दोहरीघाट मऊ के कब्जे से चोरी का गैस सिलेण्डर, मिक्सर, गैस चूल्हा व पेट्रोमैक्स बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि के बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 24 व्यक्ति व 04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 22.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मुन्नू चौहान पुत्र दुखंती निवासी दशई पोखरा थाना दक्षिणटोला, थाना घोसी पुलिस द्वारा कुल्लू सोनकर निवासी कस्बा बाजार व वारंटी अभियुक्त सुखदेव पुत्र जगरनाथ निवासी अकोली मुबारकपुर थाना घोसी, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा राजन कुमार, संतोष, आकाश निवासीगण ताजपुर व कन्हैया यादव निवासी रायपुर पलिया थाना चिरैयाकोट, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सूरज गुप्ता, राहुल राजभर, हर्षनाथ निवासीगण कासिमाबाद जनपद गाजीपुर, अखिलेश, विनयकांत व सोनू निवासीगण निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा यूसुफ व नसीम निवासीगण लालनपुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा फूलबदन व सूरज निवासीगण पारा थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा राधेश्याम, तुलसी व गुड्डू निवासीगण बसगीत जहानागंज आजमगढ़, मिठ्ठू निषाद निवासी निषादनगर थाना दक्षिणटोला, मो0 रोशन, मोनू व रवीन्द्र निवासीगण खुरहट, राममिलन निवासी याकूबपुर व वारंटी अभियुक्त शक्ति सिंह पुत्र उमेश निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र दूधनाथ निवासी बरलाई थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 08 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष कारावास तथा अर्थदंड से किया गया दंडित–</u>

आज दिनांक 22.09.2022 को माननीय न्यायालय एएसजे–प्रथम द्वारा थाना सरायलखंसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 911/08 धारा 147,148,149,323,324,325,452,504,506 भादवि से सम्बन्धित 08 अभियुक्तगणों क्रमशः रामकेश पुत्र रामपत, मगरु पुत्र जगतू, रामपत पुत्र जगतू, विजय राजभर पुत्र मगरु, जयप्रकाश पुत्र मगरु, बालेश्वर पुत्र राजूदेव, हरिप्रकाश पुत्र बालेश्वर एवं रामू पुत्र महेश निवासीगण अलीनगर थाना सरायलखंसी मऊ को धारा 304(भाग दो) भादवि में कारित अपराध के लिये 07–07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 15–15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।